ऑन लाईन नं. GCMS 2025/146

न्यायालय : न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : सुभाष कुमार, आर.ए.एस.

न्याय निर्णयन आवेदन सं0 42/2025

श्री कंवरपाल सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर।

बनाम

1. श्री राम पुत्र श्री रामकुमार (विक्रेता व मैनेजर), मै. Pure Departmental staore pvt. Ltd. सादुलशहर–गंगानगर रोड, सच कैंटिन, बुधरवाली, ब्लॉक सादुलशहर, श्रीगंगानगर, निवासी बेरी वाली गली, बेगुमार्ग, परमार्थ कलोनी, सिरसा, हरियाणा।
2. श्री सुखपाल कौर पुत्री श्री गुरूदेव सिंह(प्रबंधक), मै. Pure Departmental staore pvt. Ltd. सादुलशहर–गंगानगर रोड, सच कैंटिन, बुधरवाली, ब्लॉक सादुलशहर, श्रीगंगानगर, निवासी गांव शाह सतनामपुरा, सिरसा, हरियाणा।

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा

एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii)/54

निर्णय **दिनांकः 14.11.2025**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी खादद्य सुरक्षा अधिकारी का राज० गजट नोटिफिकेशन क्रमांक–संख्या प.5 (01) चिस्या / ग्रुप–3 / ई–5095/2024 दिनांक 28.06. 2024 द्वारा अधिसूचित किया है व परिवादी का पदस्थापन एवं कार्य क्षेत्र का आवंटन आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय, राजस्थान, जयपुर के आदेश पत्र क्रमांक–आयुक्ता/संस्था. /2024/1211 दिनांक 08.07.2024 और संशोधित आदेश पत्र क्रमांक आयुक्ता/संस्था. /2024/1225 दिनांक 09.07.2024 द्वारा किया गया है। अधिसूचना एवं आदेश की फोटो प्रतियाँ न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 25.06.2025 को समय शाम 04:00 पीएम बजे को **मै. Pure Departmental staore pvt. Ltd. सादुलशहर–गंगानगर रोड, सच कैंटिन, बुधरवाली, ब्लॉक सादुलशहर, श्रीगंगानगर** पर पहुँचे, मौके पर श्री राम पुत्र श्री रामकुमार (विक्रेता व मैनेजर) को अपना परिचय दे कर संस्थान के अंदर रखे लगभग 05 किलोग्राम **बर्फी मिठाई** के बारे में जानकारी चाही इस पर विक्रेता ने स्वयं को संस्थान का मैनेजर बताया तथा संस्थान में रखे लगभग 05 किलोग्राम खाद्य पदार्थ **बर्फी मिठाई (दूध, चीनी से निर्मित)** बेचान हेतु होना बताया, इसी खाद्य पदार्थ में मिलावट का शक होने पर विकेता से नमूना जाँच वास्ते खाद्य पदार्थ **बर्फी मिठाई (दूध, चीनी से निर्मित)** का नमुना लेने की इच्छा विक्रेता को फॉर्म न. 5 ए भरकर देते हुऐ वयक्त की, मोके पर ही विक्रेता को फॉर्म न. 5 ए भरकर दिया। फार्म न 5ए न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5 ए की प्रतियों को तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढ़कर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे **राम पुत्र श्री रामकुमार (विकेता व मैनेजर)** एवं गवाहान ने भी पढ़कर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म से 5 ए की एक प्रति खाद्यकारोबारकर्ता एवं **राम पुत्र श्री रामकुमार (विकेता व मैनेजर)** को देकर असल पर रसीद प्राप्त की। फार्म सं. 5 ए मूल संलग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा संस्थान का निरीक्षण करने पर आम जनता को विक्रय हेतु उपलब्ध खाद्य पदार्थ **बर्फी मिठाई(दूध, चीनी से निर्मित)** में से 02 किलोग्राम विक्रेता से खरीद कर लिया। विक्रेता को मौके पर ही उक्त कयशुदा खाद्य पदार्थ **बर्फी मिठाई(दूध, चीनी से निर्मित)** का नगद भुगतान 860 रूपये किया तथा केशमीमो बनवाकर लिया जिस पर विक्रेता तथा गवाहन के हस्ताक्षर हैं और आवेदक के भी हस्ताक्षर हैं। केशमीमो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ **बर्फी मिठाई(दूध, चीनी से निर्मित)** 02 किलो को बराबर भागों में बांटकर 4 बोतलों में भरकर लिया। प्रत्येक बोतल में फार्मेलिन की 40–40 बूंदे डालकर ढक्कन को कसकर बंद किया और चारों बोतलों पर लेबल तैयार कर चिपकाए और लेबलों पर डी.ओ. श्रीगंगानगर के कोड एवं क्रमांक **के–2885** दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्री गंगानगर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं **के–2885** नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आयें। चारों नगूना भागों के पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बन्द चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता तथा गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे **श्री राम पुत्र श्री रामकुमार (विकेता व मैनेजर)** एवं गवाहान ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की छः प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की और दो फार्म सं. 06 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की एवं शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म संख्या 6 की दो प्रतियों और चौथा भाग मय फार्म संख्या 6 की एक प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक :–:L.S./797/Act/2025/797 Dated 04.07.2025 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **K-2885 Food containing extraneous matter Under Section 3.1 [i] of the Food Safety & Standards Act ,2006 due to presence of added starch** होना पाया गया। खाद्यकारोबारकर्ता को जांच से असंतुष्ट होने की स्थिति में पुनः जांच करवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने को कहा गया, परंतु खाद्यकारोबारकर्ता ने पुनः जांच का आवेदन प्रस्तुत नहीं किया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त **श्री राम पुत्र श्री रामकुमार (विकेता व मैनेजर), मै. Pure Departmental staore pvt. Ltd. सादुलशहर–गंगानगर रोड, सच कैंटिन, बुधरवाली, ब्लॉक सादुलशहर, श्रीगंगानगर, निवासी**

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

बेरी वाली गली, बेगुमार्ग, परमार्थ कलोनी, सिरसा, हरियाणा और श्री सुखपाल कौर पुत्री श्री गुरूदेव सिंह(प्रबंधक), मै. Pure Departmental staore pvt. Ltd. सादुलशहर–गंगानगर रोड, सच कैंटिन, बुधरवाली, ब्लॉक सादुलशहर, श्रीगंगानगर, निवासी गांव शाह सतनामपुरा, सिरसा, हरियाणा द्वारा अमानक स्तर का **बर्फी मिठाई(दूध, चीनी से निर्मित)** विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (ii)/54 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 23.09.2025 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अप्रार्थी ने अपने जवाब में कथन किया कि प्रार्थी बेरीवाला बाग बेगू मार्ग सिरसा हरियाणा का हरने वाला है तथा प्रार्थी की फर्म मै. प्योर डिपार्टमेंटल स्टोरप्रा. लि. सच केंटीन बुधरवाली, तह. सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर का मालिक है और प्रार्थी को आपके विभाग द्वारा एक नोटिस आपके पत्र क्रमांक 1914/25 दिनांक 24.10.2025 का दिया है कि आपकी दुकान में बर्फी मिठाई की जांच की गई तो बर्फी मिठाई **Food containing extraneous matter Under Section 3.1 [i] of the Food Safety & Standards Act ,2006 due to presence of added starch** पाया गया है। प्रार्थी ने उक्त बर्फी मिठाई में सुधार कर लिया है। भविष्य में ऐसी गलती दोबारा नहीं करेगा। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुए प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे। उक्त प्रकरण सं. 42/2025 है।

लिहाजा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित हो कर अपना जुर्म स्वीकार करता है प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे आपकी अति कृपा होगी।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया **बर्फी मिठाई(दूध, चीनी से निर्मित)** का सैम्पल **K-2885** स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक– L.S./797/Act/2025/797 Dated 04.07.2025 **Food containing extraneous matter Food** होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा (2)(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 54 में निर्धारित है।

अप्रार्थी ने अपनी बहस में जवाब के कथनों को ही दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित हो कर अपना जुर्म स्वीकार करता है प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे आपकी अति कृपा होगी।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम के तहत सही प्रकिया अपनाते हुए नियमानुसार नमूने का संग्रहण किया गया है। इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of **"Barfi Mithai (Made by Milk and Sugar) "** bearing Code No and Sr. No. **K-2885**, of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sri Ganganagar is **Food containing extraneous matter Under Section 3.1 [i] of the Food Safety & Standards Act ,2006 due to presence of added starch**.की जांच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

अति० जिला कलेक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

फलस्वरूप अभियुक्तगण **श्री राम पुत्र श्री रामकुमार (विक्रेता व मैनेजर), मै. Pure Departmental staore pvt. Ltd. सादुलशहर–गंगानगर रोड, सच कैंटिन, बुधरवाली, ब्लॉक सादुलशहर, श्रीगंगानगर, निवासी बेरी वाली गली, बेगुमार्ग, परमार्थ कलोनी, सिरसा, हरियाणा और श्री सुखपाल कौर पुत्री श्री गुरूदेव सिंह(प्रबंधक), मै. Pure Departmental staore pvt. Ltd. सादुलशहर–गंगानगर रोड, सच कैंटिन, बुधरवाली, ब्लॉक सादुलशहर, श्रीगंगानगर, निवासी गांव शाह सतनामपुरा, सिरसा, हरियाणा** को एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 54 के अन्तर्गत अभियुक्तगण **श्री राम पुत्र श्री रामकुमार (विक्रेता व मैनेजर), मै. Pure Departmental staore pvt. Ltd.** सादुलशहर–गंगानगर रोड, सच कैंटिन, बुधरवाली, ब्लॉक सादुलशहर, श्रीगंगानगर, निवासी बेरी वाली गली, बेगुमार्ग, परमार्थ कलोनी, सिरसा, हरियाणा और **श्री सुखपाल कौर पुत्री श्री गुरूदेव सिंह(प्रबंधक), मै. Pure Departmental staore pvt. Ltd.** सादुलशहर–गंगानगर रोड, सच कैंटिन, बुधरवाली, ब्लॉक सादुलशहर, श्रीगंगानगर, निवासी गांव शाह सतनामपुरा, सिरसा, हरियाणा को **राशि रूपये 10,000–00 (अखरे रूपये दस हजार मात्र)** के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते हैं कि भविष्य में खाद्य पदार्थ में डालने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थो से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 14.11.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुभाष कुमार)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट(प्रशा0)
अति० श्रीगंगानगर।
श्रीगंगानगर